

कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक 143 / 12-1 : देहरादून दिनांक: २३ नवम्बर, 2024

सेवा मे

उप वन महानिदेशक(केंद्र),

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुमाष रोड, देहरादून।

विषय:— जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्हालीसौड के बनगांव चापडा—कसलाना मोटर सड़क पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 07 विन्दुओं पर राज्य योजना चाही गयी थी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 704 / 12-1, दिनांक—06.11.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा विन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है।

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक— 8वीं/यू. सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक— 05.03.2024।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके क्रम में भारत सरकार के १०वें संविधान पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 07 विन्दुओं पर राज्य योजना चाही गयी थी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 704 / 12-1, दिनांक—06.11.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा विन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है।

क्र०	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
स०		
१	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त विन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औद्योगिक प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-१)
२	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7152 हेतु वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2292 हेतु वन भूमि संरेखण हेतु तथा 1125 हेतु वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड के द्वारा अवगतनीय है कि अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 2065 हेतु वन भूमि एवं 0.63 हेतु सिविल भूमि कुल 2695 हेतु भूमि संरेखण हेतु तथा 104 हेतु वन भूमि को डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गयी है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस-पास व क्षेत्र में सिविल सौयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
३	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि It has been Rectify & uploaded in part-1 as additional Information New CB analysis has been annexed. (संलग्नक-2)
४	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
५	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped,	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि Proper muck dumping scheme जिरामे swell factor 25 %

96

dumping site capacity, swell factor, etc.		Revised Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक-3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावित मोटर के हरस्तानारण हेतु 7.152 हेतु वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.417 हेतु वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 3.735 हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
7	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि विषयागत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 हेतु तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 हेतु अर्थात् कुल 14.304 हेतु चयनित किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 हेतु का रथलीय निश्चय किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी के अनुसार उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है एवं अपर यमुना वन प्रभाग अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 7.47 हेतु का रथलीय निश्चय किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की संलग्न है। (संलग्नक-उपरोक्तानुसार।)

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संरक्षण) अधिनियम, के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : ५५३ / 12-1 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को पत्र संख्या-300/12-1, दिनांक-02.08.2024 एवं वन संरक्षक, वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक-6.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्धालीसौड, उत्तरकाशी।

(आर०के०मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
87-राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष-0135-2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक :-

704 / 12-1, देहरादून, दिनांक, 06 नवम्बर, 2024।

सेवा में,

अपर प्रभागीय वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (FP/UK/ROAD/21335/2016)

र
ग

संदर्भ :-

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/35/2021/एफ०सी० दिनांक 05.03.2024।

।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, भारत सरकार द्वारा सृजित कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा निराकरण कर बिन्दुवार आख्या पत्रांक 1272/12-1 दिनांक 24.10.2024 से इस कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की गई है। आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लेया गया है।

अतः उक्त निराकरण आख्या मय संस्तुति के मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हु प्रेषित है।

रक्क-उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी
क्र. क्र.

12
८ न०/०८०
५

- 704 / 12-1 तददिनांकित।

:- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तरकाशी वन संरक्षक
क्र. क्र. 1272/12-1
दिनांक 24.10.2024

भवदीया

(कहकशां नसीम, मा०व०स०)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(कहकशां नसीम, मा०व०स०)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रशागीय यन्मापिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं.- 01375-224233 E-Mail: info@nmaa.com का मिशन कॉर्न सेंटर-9208068000

सेवा में पत्रांक- 1272 /12-1 दिनांक, 04 / अप्रृष्ट्यर / 2024

यह संरक्षक,
यमुना घृत, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड यिन्यालीसीड के वनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर गार्ड का विराम कार्य निर्गम हेतु 7.152 हेतु 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्गम विभाग को प्रत्यावर्ती।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक- ८३/यू.सी.पी./०६/३५/२०२१/एफ.री., दिनांक- ०५.०३.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र-1544/1सी०, दिनांक- 18.10.2024 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर रवीकृति हेतु निमानुसार अग्रसारित की जा रही है-

क्र० सं०	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
1	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 हेतु 0 वन भूमि में से अपर यमुना वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.065 हेतु 0 वन भूमि एवं 0.63 हेतु 0 सिविल भूमि कुल 2.695 हेतु 0 भूमि संरेखण हेतु तथा 1.04 हेतु 0 वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस-पास के क्षेत्र में सिविल सोयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
3	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक-2)
4	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
5	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % तथा Reused Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक-3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 हेतु 0 वन भूमि में से अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 3.735 हेतु 0 वन भूमि तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.417 हेतु 0 प्रस्तावित है।
	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470

मिल राज्य उत्तरकाशी यन प्रभाग के अन्तर्गत ८८३४ हैं।
अन्तर्गत युल १४३०५ हैं। यह नियत विषय गाया है। इस यन
प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृद्धारोगण स्थल
युल क्षेत्रफल ७४७० हैं। को स्थानीय नियिकण किया
गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृद्धारोगण हेतु उपचुक्ता
प्रवीत होता है। क्षतिपूरक वृद्धारोगण स्थल का उपचुक्ता
प्राण पत्र को भाग-२ के Additional Information में
अपलोड कर दिया गया है तथा उपचुक्ता प्राण पत्र
की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-४)

मरदीय

(रविन्द्र पुण्डेर)
प्रमाणीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

पत्रांक-

/12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी को उपरोक्त के
क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

र
मे

(रविन्द्र पुण्डेर)
प्रमाणीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3
1

2D
 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौँड (उत्तरकाशी)
 E-mail - ceddpwd_ukd@rediffmail.com
 Phone/Fax No. - 01371-237081

पंजाक 1544 / १६१०

तितला १८ / १० / २०२४

स्वामी
 प्रभागीय घनाधिकारी,
 यमुना वन प्रभाग,
 बडकोट, उत्तरकाशी।

विषय :- प्रोजेक्ट संख्या FP/UK/ROAD/21335/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौँड के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,
 विषयक प्रोजेक्ट संख्या FP/UK/ROAD/21335/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौँड के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर justification संलग्न है।
1	The Proposed road alignment is not Connecting to any village or habitation. State govt shall submit the justification for the Proposed road.	Part-I of the Proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost project is 1478.57 lakh. State government shall submit the clarification in this regard.
2	As per Part-I of the Proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost project is 1478.57 lakh. State government shall submit the clarification in this regard.	Proper muck dumping scheme submit कर दिया गया है जिसमें swell factor 25% , reused Material 40% है।
3	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	proposed diversion area 7.152 है, जिसमें उत्तरकाशी वनप्रभाग में आरक्षित वनभूमि 2.292 है। एवं डम्पिंग याड़ 1.125 है। एवं बडकोट वनप्रभाग में आरक्षित वनभूमि 2.065, सिविल वनभूमि 0.63 है। एवं डम्पिंग याड़ 1.04 है। इस प्रकार कुल डाईवजन क्षेत्र 7.152 है। जिसकी केंद्रीय फाइल अपलोड कर दी गई है।
4	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State government shall submit the clarification in this regard.	भवदीय

अधिकारी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चिन्यालीसौँड,
 उत्तरकाशी

उपयोगिता / औचित्य प्रगाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग चिन्हालीसौड तथा नौगांव ब्लॉक मुख्यालय को आपस में जोड़ता है। मार्ग निर्माण से दोनों ब्लॉक के मध्य 150 कि.मी. की अतिरिक्त दूरी कम हो जायेगी, जिससे चिन्हालीसौड ब्लॉक की आवादी 49900 तथा नौगांव ब्लॉक की आवादी 19364 प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का समरेखण कई तोकों से हुकाली आवादी लगभग 102, कोठारी आवादी लगभग 40, गंगकल आवादी लगभग 30, छूलीखेत आवादी लगभग 80, तथा आवादी लगभग 20, बयागटी आवादी लगभग 40, पीलाना आवादी लगभग 45, गोटाछानी आवादी लगभग 23, चापड़ा आवादी लगभग 610, गोटावारी आवादी लगभग 92 चोडाछानी आवादी लगभग 32 से गुजरता है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग में कास्तकारों के अनेकों बाग लगभग 92 चोडाछानी आवादी लगभग 32 से गुजरता है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग में कास्तकारों के अनेकों बाग लगभग 92 चोडाछानी आवादी लगभग 32 से गुजरता है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के पास पड़ने वाले बगीचों से अपनी नकदी फसलें बाजार तक वर्गीचे पड़ते हैं। प्रस्तावित मार्ग निर्माण से मार्ग के पास पड़ने वाले बगीचों से अपनी नकदी फसलें बाजार तक लाने में तथा उपरोक्त तोकों पर स्थित आवादी वीमारी की अवस्था में अस्पताल लाने में सुविधा होगी। यह मार्ग आपदा के समय दोनों ब्लॉक को जोड़ने हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम आयेगा। उक्त मार्ग हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा बहुत मांग की जा रही है। मार्ग की दूरी 150 कि.मी. कम होने से ईधन की खपत कम होगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
स्थालीराँड (उत्तरकाशी)

प्रारंभ २०

(500 हेक्टर के लिए कुल खर्च 500 लाख)

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद सरारकाशी में शिल्पयारा-वनगाव
-चापड़ा-करालाना गोदार का विरतार कार्य 9.00 लिंगमीठ लाघाई निर्माण हेतु 7.152 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Block- chinyalisaur

Distt- Uttarkashi

Sr.No	Particulars	Amount (Lacs)	Remarks
1	Total cost (investment incurred)		
(A)	Construction cost of project	500.00	
(B)	NPV Amount to be disposed (32.08+31.56)	63.64	
(C)	Subsiltute Alternative plantation cost to be disposed (15.73+17.20)	32.93	
	Environment Value	-	
	— Total	596.57	
2	Benefits- Benefits from (Taking age of Road as 50 years)	50 years	
	<u>Economics Benefits development</u> (a) Motor vehicle operating cost saving (b) Value of time saving	342.00	
	— TOTAL EMPLOYEMENT	342.00	
(B)	<u>Direct Employment of Labours</u> take 5 people get per month @ 5000.00 benefit for 1 year = $5000 \times 5 \times 12 = 630000$ 50 Year benefit = $50 \times 630000 = 31500000$	315.00	
	— TOTAL EMPLOYEMENT	315.00	
(C)	<u>Employement genration due to other activities</u>	-	
ote	<u>There of construction is economical viable and socially benificial</u>	225.00	
	Total Benefit	1478.57	

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड समिति
करालाना उत्तरकाशी

प्रारूप-29.1

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में शिल्वयारा-वनगाव
-चापड़ा-कसलाना मोटर का विस्तार कार्य 9.00 किमी² लागाई निर्माण हेतु 7.152 हेक्टर वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Annexure-VI(B)

मोटर
का

/म्

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Si No	Particulars	Amount in Lakhs
1	Loss of value of timber,fuel wood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities.	total 667 Effected trees by 9.00 Km. length has been compensated by road side plantation costing to Rs. 38.06 Lacks.
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	No losses of animal husbandry it will assist people to develop occupation.
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No any facilities diverted due to project. No forest land is effecting their facilities.
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	NA
	Suffering to oustees	NA
	TOTAL COST	38.06 lakhs

प्रधिकारी अधिकारी
नियमित बंद लोकोपी
धन्यातीर्थ उत्तरकाशी(ए.)
प्रधिकारी उत्तरकाशी

नाम— राजा योगना गे अन्नपूर्णा ल-पाल देवाकुमारी गे शिवमास क-पाल नामा-लालना पीटर ता
कार्य १०० लिंगार्थ लालाई लिंगार्थ हैं १२५२ ई० तदा युवि इत्यादेश्वर १२५०

parameter for Evaluation of benefit, notwithstanding loss of forests

Annexure VI (C)

Parameters	Road Trunk & Railway line
1 Increase in productivity attributable to the specific project	Road length 200 km @ 1200/- = 240000.00 for 30 years = $240000 \times 30 = 12000000.00$ say 120.00 lac
2 Benefits to economy	About Rs 2.00 lac due to milk production, vegetable, fruit, tourism and other mining mineral material
3 No. of population benefited	200
4 Employment Potential	5 permanent and about 60 temporary labours in this project will get employment to local youth their social economic cultural emotional life structure will be benefited = $65 \times 300 \times 365 \times 2 = 142.35$ lacs
5 Economics benefits market development taking shops	Assuming 10 shops will be established after construction of above road Minimum benefits per shop per day Rs 250.00 Benefits for shops per month = $10 \times 30 \times 250 = 75000.00$ Benefits for 1 year = $75000 \times 12 = 900000.00$ Benefits for 50 year = $900000 \times 50 = 450$ lac
6 cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible	Nap land 0.212 hectare @ 49.10 lacs per hectare = 10.31 lacs
7 Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land	Nil
8 Cost of rehabilitating the displaced person as different from compensatory amounts given for displacement	Nil
9 Cost of supply of free fuel wood to workers residing in or near forest area during the period of construction	Kerosene oil, gas connection services is available in the area, dry fuel wood will be sufficient from nearby nigam depo during construction.
a Medical parameter	In case of accident or any medical emergency the people of the village nearby will get medical facilities at within time.
b Educational Parameter	The school going children involved in agricultural activities shall be able to go nearby colleges for higher education.
Environmental Parameter	In case of any fire in nearby forest, the forest department fire brigade will be able to control quickly.
Tourism Parameter	Tourism employment will be increased by providing at least 3 people @ 1.50 lac per person benefits for 1 years $150000 \times 3 = 450000.00$ benefits for 50 years $450000 \times 50 = 22500000.00$ say 225.00 lacs

~~अधिकारी संग्रहालय~~

COST BENEFIT RATIO

ANNEXURE D

काशी ना नाम - राज्य गोजगा के अन्तर्गत जग्गाव उपरकांडी में शिलायारा गवाहां - शारद्या-कारालगा गोटर का
विस्तार कर्य ७.०० विळाड़ी लागाई जिला ७१५२ हैं तथा यहाँ परस्तायारा प्रस्तारा।

TOTAL PROJECT COST

1478.57 LAKHS

TOTAL BENEFIT AS PER ANNEXURE C

947.31 LAKHS


COST BENEFITS RATIO = PROJECT COST/TOTAL BENEFITS

$$CBR=1478.57/947.31$$

$$CBR= 1.56 ,$$

The c/b ratio is greater than 1 hence the project is viable


A.C.


अधिकारी अधिकारी
निमार्ग खाली ना ७०३०
चिन्यालीसौँइ ठारकारी

MUCK DISPOSAL PLAN

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR, UTTARKASHI

ROAD LENGTH :- 9.00 KM.

BLOCK :- CHINYALISAUR

DISTRICT :- UTTARKASHI

Co-ordinated with Comfomaster

मुक्क डिसोल/मैनेजमेंट प्लान फॉर बांगां-
चापारा-कास्लाना मोटर रोड फॉर स्टेज-1 वर्क्स
उन्डर प्वड चिन्यालिसाउ, उत्तरकाशी

मे

Muck disposal plan prepared as following:-

- 1- Calculation of muck to generated including swell factor

Total muck generated during construction of road=157500.00 cum

- 2- Quantity of muck to be utilized in the project activities

As per attached sheet= cum

लाना
माण

- 3- Balance quantity of muck which required for disposal/management plan

(157500.00-15750.00)cu.m =141750.00 cum

का-

- 4- Carriage of muck from the muck generation site to dumping site

Muck will be carry by contractor as their own cost as per bond condition.

कर
तुल

- 5- Ownership of land and the consent of land owner

Muck will be dump on forest land as attachment of record. Photo graphs always attached as per carrying capacity. Capacity of dumping zone to be prepared on forest land is 141900.00 cum but required quantity is only 141750.00 cum

- 6- Development of dumping site, construction of retaining walls and other structure

Cost of protection work i.e.-R/walls, wire crates etc. against muck dumping point in forest land will be construct by C.D, PWD Chinalisaur Uttarkashi proposed muck dumping point.

- 7- Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrub and tree species

Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrub and tree species by construction agency C.D, PWD Chinalisaur.

Cost of Dumping site:-

Undertaken as per following by User agency (C.D, PWD Chinalisaur, Uttarkashi)

- 1- Muck management plan will be implemented by C.D, PWD Chinalisaur, Uttarkashi. In case non implementation of plan we will be liable to penalty/action.

- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

यक अधियन्ता
उण्ड लोगोन्हि
सौङ उत्तरकाशी

प्रधिनारी अधियन्ता
नेमाण खण्ड, लोगो निः
चिन्याली झाँड (उत्तरकाशी)

मन क्षत्रानिकारी
धरास कन राजि
उत्तरकाशी कम प्रभाग

इस प्रभाष्य इनाविष्ट
द्वार धन्यवाद कर प्रवाप

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

1- CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-KASLANA
MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD
CHINYALISAUR, UTTARKASHI Muck disposal annexure-I

2- DETAILS OF MUCK DISPOSAL YARDS WITH LAND
OWNERS, ANNEXURE-II

G.J.

सहायक अधिकारी
नियाम स्थग लोपनियिः
विद्यालीसौङ उत्तरकाशी

मधिशारी आभेयन्ता।
नेपाण खण्ड, लो० नि० वि०
चिन्याली सौङ (उत्तरकाशी)

संसदीय विभाग
धरास वन प्रभाग
उत्तरकाशी कल प्रभाग

✓

प्रभागीय विभाग
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय विभाग
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

Name of work :-

Annexure-1

**CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-
KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I
WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR,
UTTARKASHI**

S.No.	Particulars	Quantity	Unit
I	Total material received from reserve forest and civil soam land during hill side cutting,		
(i)	Reserve forest and nap Land ($1/2 \times 4.00 \times 7.00 \times 9000.00$)	126000.00	cum.
	Total	126000.00	cum.
(ii)	Add 25% swell factor	31500.00	cum
	G.Total	157500.00	cum.
DISPOSAL AND USE OF MATERIAL			
	Total Use of material 10 %		
	Total Use	15750.00	cum.
	Material disposal by cartage in dumping yard	141750.00	cum.

LOCATION AND QUANTITY OF DABRIES DISPOSAL

Location And Dumping	Size Of Dumping Yard	Types Of Land	Capacity Of Dumping Yard (Cu-M)
	150 X 40 X 8	Forest	48000.00cum.
	150 X 35 X 8	Forest	42000.00cum.
	260 X 40 X 5	Forest	52000.00cum.
		TOTAL	142000.00cum

✓ सहायक : एन्स
निर्माण खण्ड लो० नो० १०
चिन्यालीसौड उत्तरदः

प्रधिशासी अभियन्ता
नेमाण खण्ड, लो० नि० १० वि.
चिन्याली सौड उत्तरकार्शी

मन क्षेत्राकारी
भरामु का गाँव
उत्तरकार्शी लो० १०३४

मन क्षेत्राकारी
नीरामु इज

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No.	Total dabries	Material disposal by cartage.	Re-used material for road construction.	Total disposal in dumping zone	Balance dabries.
1	157500.00	141750.00	15750.00	142000.00	0.00

[Signature] *[Signature]*

नियां राज नानों
विद्यालीसीह उत्तरका

मध्येश्वरी अभियन्ता
नेमाण खण्ड लो० नि० वि०
चन्याली सौ० उत्तरकाशी


प्रदीप भट्टाचार्य
बंशी कुमार
उत्तरकाशी

प्रमाणीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी बन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रमाणीय वनाधिकारी
अपर रामुला नगर पालिङ
नामांकन

प्रदीप भट्टाचार्य
बंशी कुमार
उत्तरकाशी

नंजरां नवरा



Signature


मिश्र
विनालीराज उत्तरा

प्रधिकारी अधिकारी
नेपाल खण्ड, लो० नि० पि०
चिन्याती सौँड (उत्तरकाशी)

वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रथल उपयुक्तता प्रमाण पत्र	
1. वन भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या	FP/UK/ROAD/21335/2016
2. वन भूमि का नाम	विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत चनगांव-चोपड़ा-कसलाना मोटर मार्ग
3. वरियोजना का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	7.4700
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	
5. प्रयोक्ता एजेन्टी का नाम	
6. वन विभाग का नाम	अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।


प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नौगांव राजि के अन्तर्गत चयनित सिविल भूमि चोपड़ा खसरा नम्बर 3219 कुल रक्वा 7.470 है। का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव में 0.40 से कम प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है। दर से रोपित हो सकते हैं।

अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।


 रुप ३० दिन १८ नवंबर २०१६

 (विजय कुमार)
 वन प्रभागी
 रक्षणा

 (विजय कुमार)
 वन विभाग इलाहा


 वन विभाग
 रामेश रेज वर्णगांड

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
87-राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स-0135-2745779
Email: yamuncircle@gmail.com

पत्रांक- 285 / 12-1 , दिनांक देहरादून, 27 अगस्त 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

विषय:-

जनपद उत्तराकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसीड़ के बनावाव चापड़ा-कस्लाना
मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हेक्टर भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग
(Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/21335/2016)

संदर्भ :-
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-
8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक-05-03-2024 एवं आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक-
26.07.2024 को प्रेषित प्रतिउत्तर।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के
माध्यम से 07.03.2024 को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 07 बिन्दुओं में
कमियां इंगित की गयी हैं। उक्त पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिनांक -26.07.2024 को प्रतिउत्तर के तौर पर प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराकाशी वन प्रभाग, उत्तराकाशी का पत्र -4356/12-1, दिनांक-07.06.2024 अपलोड किया गया है, जो कि वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरती का सम्बोधित है। इस पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्र में उत्तराकाशी वन
प्रभाग से सम्बन्धित प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक स्थल के सम्बन्ध में ही आख्या/सूचना का उल्लेख किया गया है।

उक्त से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा बिना किसी अवलोकन के ही उक्त पत्र पोर्टल में प्रतिउत्तर के रूप में अपलोड
किया गया है। आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित कमियों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, की कोई सूचना उपलब्ध
नहीं करायी गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण अध्यावधि तक नहीं
पाया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी 7 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत का
सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वन संरक्षक)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

010



पत्र सं-8 बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी.

दिनांक:

/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौँड के बनगांव चापडा-
कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु
लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/
UK/ROAD/21335/2016).

सन्दर्भ: कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक
1432/-12-1 दिनांक 24-01-2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश
हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2021 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत
किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर
अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.
2. Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.
3. On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.
4. As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.
5. Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.
6. As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.

As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.

नियरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदिया,
Signed by Neelima Shah
Date: 05-03-2024 11:31:13

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुमाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(नीलिमा शाह, भा०व०स०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

राज्य प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रशासन, उत्तरकाशी
प्रांक-४३५६ / १२-१, कोटबंगला, छिनांक ०८ / ०६ / २०२४

वन संरक्षक,
भागीरथी वृक्ष, सत्तरालाल
मुनिवीरेती।

जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास यात्रा विभागीय के वनांग गांडा-कालाना ग्राम का प्रत्यावर्तन।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंतव्य, क्षेत्रीय कर्यालय देहान्न का प्रांक-४३६/यू.सी.पी./०६/३५/२०२१/एफ.री., दिनांक- ०५.०३.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आलियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र- 472/२ री०प्र००, दिनांक- ०६.०४.२०२४ के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु मिमानुसार अप्रसरित की जा रही है-


क्र० सं०	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
१	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	उक्त विन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक-१)
२	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 हेतु प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 2.292 हेतु वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.292 हेतु वन भूमि संरेखण हेतु तथा 1.125 हेतु वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस-पास के क्षेत्र में सिविल सौयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
३	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक-२)
४	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-१ में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
५	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % तथा Reused Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न (संलग्नक-३)
६	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 4.84 हेतु वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत हेतु तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
७	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	विषयगत परियोजना स्थल ०२ वन प्रभागों क्रमशः वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में वृक्षारोपण हेतु स्थल ०२ वन प्रभागों में प्रस्तावित है वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 हेतु अपर यमुना के अन्तर्गत 7.470 हेतु अर्थात् कुल 14.304 हेतु गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

कायलिय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोटर

काशी, वन सं
ड देहरादून।
Phone/Fax: 0135

30 सि

उत्तरकाशी वन संरक्षक एवं नोटर
किसी गढ़। उक्त वन का अधिकारी बोला
पत्री होता है। अतिपूर्व प्राचीन वनों का संग्रहालय
प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में भारतीय
कर दिया गया है तथा उपर्युक्त प्रमाण वन की पत्री संरक्षण
है। (संलग्नक-4)



उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

ड के वनम्
कार्य हैं

नय, देहरा

पत्रांक-

तिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्धालीसौड, उत्तरकाशी को उपरोक्त के कम में

सूचनार्थ प्रेषित।

12-1. तददिनांकित।

(डी०पी० देहरा)
प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

जिसके
न संरक्ष
काशी व
है :-
रालेख

(डी०पी० देहरा)
प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

उत्तर
वन इ
तनीय
ए उप
लग्नन
उत्तरा
न प्रा
य है
में स
रेख
की
ल
प
ा